रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 1, 2010/चैत्र 11, 1932
No. 166] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 1, 2010/CHAITRA 11, 1932

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(बेतार आयोजना और समन्वय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2010

सा.का.नि. 280(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय बेतार तार-यांत्रिकी (प्रेयानुशीली सेवा) नियम, 1978 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय बेतार तार-यांत्रिकी (प्रेयानुशीली सेवा) संशोधन नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. बेतार तार-यांत्रिकी (प्रेयानुशीली सेवा) नियम, 1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 8 में,—

(क) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

"पाठ्यक्रम के अनुसार, अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिए परीक्षाएं ऐसे स्थान पर और ऐसी तारीख को ली जाएंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएं ।"

(ख) अन्त में आने वाले टिप्पण का लोप किया जाएगा।

3. उक्त नियमों के नियम 13 में "जैसे कि इन नियमों के उपाबन्ध-V में दिया गया है", शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किए अनुसार" शब्द रखे जाएंगे।

4. उक्त नियमों से संलग्न "परिशिष्ट I", "परिशिष्ट II",और "उपाबंध V " का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. एल-14011/255/2004-एएमटी]

वी. जे. क्रिस्टोफर, उप बेतार सलाहकार

पाद टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में सं. सा.का.नि. 1499/78 के तहत तारीख 25 अक्तूबर, 1978 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सं. सा.का.नि. 385(अ), तारीख 9 जून, 2005 द्वारा उनमें अंतिम बार संशोधन किया गया था ।